(119) (226)

निग० 5100/2018/रीवा/भू०रा०

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी न्यायालय राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट
रीवा म.प्र.

Rs.5 20रु. Rs.20 COURT FEE INDIA FIVE RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

1— वेवा निशा मिश्रा पत्नी स्व. श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा

2— शिवदत्त मिश्रा तनय स्व. श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा उम्र 40 वर्ष

दोनों निवासी ग्राम भमरा, तह. सेमरिया, जिला— रीवा म.प्र.

———आवेदक /निगरानीकर्तागण

अधि० श्री अखिलेश पाण्डेय द्वारा पेश।
21.8.18

बनाम

रामनारायण मिश्रा तनय सरमन राम मिश्रा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम भमरा, तह. सेमरिया,जिला— रीवा म.प्र. ——— अना./गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय/राजस्व निरीक्षक महोदय, तह. सेमरिया, वृत्त सेमरिया, प. ह. भमरा,जिला— रीवा म.प्र. द्वारा रा. प्र. क. 91 ए /12/2017 —18 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू— राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:—

1— यह कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि, प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है।

2— यह कि धारा 129 म.प्र. भू— राजस्व संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि समस्त सरहद्दी कृषकों को विधिवत सूचना उपरांत सीमांकन किया जाना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5100/रीवा/2018 जिला–रीवा

श्रीमती निशा मिश्रा/रामनारायण मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार,/राजस्व निरीक्षक, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 91/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	